



# महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

पोस्ट-हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा (महाराष्ट्र) ' 442005 फोन: 0752-232957, 251613

दूर शिक्षा निदेशालय

विषय- विशेषज्ञता- आवेदन-पत्र

बीबीए (तृतीय एवं चतुर्थ सत्र)		एमबीए (चतुर्थ सत्र)	
-------------------------------	--	---------------------	--

स्वहस्ताक्षरित  
पासपोर्ट साइज  
फोटो

पंजीयन संख्या :	
नमांकन संख्या :	

1. आवेदन का नाम : (हिंदी में) :.....

2. आवेदक का नाम  
(10 वीं कक्षा के प्रमाणपत्र के अनुसार अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में)

3. पिता का नाम : (हिंदी में) :.....

(10 वीं कक्षा के प्रमाणपत्र के अनुसार अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में)

4. माता का नाम : (हिंदी में) :.....

(10 वीं कक्षा के प्रमाणपत्र के अनुसार अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में)

5. जन्मतिथि : (अंको में)

(10 वीं कक्षा के प्रमाणपत्र के अनुसार)

6. पत्राचार - पता :.....

जिला.....पिन.....राज्य.....

फोन (एसटीडी कोड सहित)

मोबाइल

ई-मेल.....

7. विशेषज्ञता (एमबीए- किसी एक क्षेत्र का  चयन करें)

विपणन	वित्त	मानव संसाधन	बीमा एवं बैंकिंग
-------	-------	-------------	------------------

विशेषज्ञता (एमबीए- किसी एक क्षेत्र का  चयन करें)

विपणन	वित्त	मानव संसाधन	बीमा एवं बैंकिंग
-------	-------	-------------	------------------

8. चयनित विशेषज्ञता विषयों के नाम :

क्र. सं.	प्रश्नपत्रों के नाम
1	
2	
3	
4	

9. घोषणा :

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि विषय विशेषज्ञता आवेदन के लिए दी गई समस्त जानकारीयों पूर्ण रूप से सत्य है।

दिनांक :.....

स्थान : .....

विद्यार्थी के हस्ताक्षर.....

---

महत्वपूर्ण निर्देश :

- इस आवेदन पत्र द्वारा चयनित विशेषज्ञता विषयों को ही विषय-विशेषज्ञता के लिए मान्य किया जाएगा अतः सभी अभ्यर्थियों से निवेदन है की वे अपने विशेषज्ञता के अनुमोदन का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। इस आवेदन पत्र द्वारा चयनित विषय-विशेषज्ञता में किसी भी प्रकार का फेर बदल नहीं किया जाएगा।
- आवेदक अपना नाम व अन्य विवरण सावधानीपूर्वक स्पष्ट रूप से यथापेक्षित हिंदी व अंग्रेजी में भरें। आवेदक द्वारा भरे गए विवरणानुसार ही अंकतालिका जारी की जाएगी। मोबाइल नंबर तथा ई-मेल आईडी का उल्लेख अनिवार्य है।
- आवेदन के साथ पहचान पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। (Adhaar Card/ Election Card/Driving License)